अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2020

सं. 94/2020-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 786(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (चौदहवाँ संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है), के नियम 8 में, उपनियम (4क) के स्थान पर, अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होने के साथ, निम्निलिखित उपनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"(4क) नियम (4) के अधीन दिए जाने वाले प्रत्येक आवेदन के पश्चात, आवेदक का जहां आवेदक कोई व्यक्ति है अथवा जहां आवेदक कोई व्यक्ति नहीं है वहां धारा 25 की उपधारा (6क) के अंतर्गत यथा-अधिसूचित आवेदक के संबंध में आने वाले ऐसे व्यक्तियों का-

(क) बायोमैट्रिक आधारित आधार सत्यापन और फोटोग्राफ लिया जाएगा, यदि उसे धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन छूट प्राप्त न हो और यदि उसने अपने आधार संख्या के अभिप्रमाणन का विकल्प दिया हो तो; या

(ख) यथा-अधिसूचित बायोमैट्रिक सूचना, फोटोग्राफ लिया जाएगा और ऐसे अन्य केवाईसी कागजातों का सत्यापन किया जाएगा, यदि उसे धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन छूट प्राप्त न हो और यदि उसने आधार का अभिप्रमाणन का विकल्प नहीं चुना है,

और साथ ही **प्ररूप जीएसटी आरईजी -01** में दिए गए आवेदन के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों की मूल प्रतियों का, इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए आयुक्त के द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र में, सत्यापन किया जाएगा और ऐसे आवेदन को तभी पूरा माना जाएगा जब इस उपनियम के अधीन निर्धारित प्रक्रिया पूरी हो जाती है।"

3. उक्त नियम में, नियम 9 में,-

(क) उपनियम (1) में -

(i) "आवेदक को आवेधन प्रस्तुत करने की तारीख से" शब्दों के पश्चात "तीन" शब्द के स्थान पर "सात" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात -

"परंतु जहां-

(क) कोई व्यक्ति, जो कि धारा 25 का उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न हो, नियम 8 के उपनियम (4क) में यथाविनिर्दिष्ट आधार संख्या के सत्यापन से चूक जाता है या आधार संख्या के सत्यापन का विकल्प का चयन नहीं करता है; या

(ख) समुचित अधिकारी, आयुक्त के द्वारा प्राधिकृत किसी ऐसे अधिकारी के अनुमोदन से जो कि सहायक आयुक्त से निम्न पद का न हो, कारोबार के स्थान का प्रत्यक्ष सत्यापन कराया जाना उचित समझता है तो,

नियम 25 के अधीन दी गई रीति से, उक्त व्यक्ति की उपस्थिति में कारोबार के स्थान का प्रत्यक्ष सत्यापन कराये जाने के पश्चात तथा जैसा उचित अधिकारी उचित समझें ऐसे कागजातों का सत्यापन किए जाने के पश्चात, आवेदन को प्रस्तुत किये जाने की तारीख से तीस दिनों के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा।";

(ख) उपनियम (2) में,

(i) "तीन" शब्द के स्थान पर "सात" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात -

"परंतु जहां-

(क) कोई व्यक्ति, जो कि धारा 25 का उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न हो, नियम 8 के उपनियम (4क) में यथाविनिर्दिष्ट आधार संख्या का सत्यापन से चूक जाता है या आधार संख्या के सत्यापन का विकल्प का चयन नहीं करता है; या

(ख) समुचित अधिकारी, आयुक्त के द्वारा प्राधिकृत किसी ऐसे अधिकारी के अनुमोदन से जो कि सहायक आयुक्त से निम्न पद का न हो, कारोबार के स्थान का प्रत्यक्ष सत्यापन कराया जाना उचित समझता है तो,

ऐसे आवेदन के प्रस्तुत किए जाने की तारीख से अधिकतम तीस दिनों के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी -03 में नोटिस जारी किया जा सकेगा।";

(ग) उपनियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"(5) यदि समुचित अधिकारी कोई कार्यवाही करने से चूक जाता है,-

(क) आवेदन को प्रस्तुत किये जाने की तारीख से सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर उस मामले में जहां कि ऐसा व्यक्ति उपनियम (1) को परंतुक के अंतर्गत नहीं आता है तो; या

(ख) आवेदन को प्रस्तुत किये जाने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर जहां ऐसा व्यक्ति उपनियम (1) के परंतुक के अंतर्गत आता हो तो ; या

(ग) उपनियम (2) के अंतर्गत आवेदक के द्वारा प्रस्तुत किये गए स्पष्टीकरण, जानकारी या दस्तावेज की प्राप्ति की तारीख से सात कार्य दिवस के अवधि के भीतर तो,

रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के आवेदन को अनुमोदित हुआ समझा जाएगा।"

4. उक्त नियम में, नियम 21 में,-

(क) खंड (ख) में, "माल या सेवाओं" शब्द के पश्चात "या दोनों" शब्द को अंत: स्थापित किया जाएगा;

(ख) खंड (घ) के पश्चात, निम्नलिखित खंडों को अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"(ङ) धारा 16 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अतिक्रमण में इनपुट कर प्रत्यय का लाभ प्राप्त करता है; या

(च) धारा 37 के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर- 1** में एक या एक से अधिक कर अवधि के लिए प्रस्तुत किए गए जावक प्रदायों के ब्यौरे उसके द्वारा संबन्धित कर अवधियों के लिए धारा 39 के अधीन प्रस्तुत की गई वैध विवरणी में घोषित किए गए जावक प्रदायों के ब्यौरे से अधिक है; या

(छ) नियम 86ख के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।"

5. उक्त नियम में, नियम 21क में, -

(क) उपनियम (2) में, "उक्त व्यक्ति को सुनवाई का यथोचित अवसर दिये जाने के पश्चात" शब्दों को लोप कर दिया जाएगा;

(ख) उपनियम (2) के पश्चात, निम्नलिखित उपनियम को अंत: स्थापित किया जाएगा: -

"(2क) जहां, धारा 39 के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत वयक्ति द्वारा प्रस्तुत की गयी विवरणियों की तुलना

(क) **प्ररूप जीएसटीआर-1** में प्रस्तुत किए गए जावक प्रदायों के ब्यौरे; या

(ख) उसके आपूर्तिकर्ता के द्वारा उनके **प्ररूप जीएसटीआर-1** में प्रस्तुत किए गए जावक प्रदायों के ब्यौरे के आधार पर निष्कर्षित आवक प्रदायों के ब्यौरे,

या ऐसे अन्य विशलेषण, जो परिषद की सिफारिशों पर किए जा सकेंगे, करने पर यह पता चलता हो कि ऐसी महत्वपूर्ण अंतर या विसंगतियां हैं जो अधिनियम के उपबंधों या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उल्लंघन को दर्शाता है, जिससे उक्त व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकता हो, तो उसके रजिस्ट्रीकरण को निलंबित कर दिया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को, उक्त अंतर और विसंगतियों को दर्शाते हुए, सामान्य पोर्टल पर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, **प्ररूप जीएसटी आरईजी-31** में या रजिस्ट्रीकरण के समय दिए गए ई-मेल पते, या समय-समय पर संशोधित पते पर, इसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा और उसे तीस दिनों के भीतर यह स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा कि उसके रजिस्ट्रीकरण को रद्द क्यों न किया जाए।";

(ग) उपनियम (3) में, "या उपनिमय (2)" शब्द, कोष्ठक और अंक के पश्चात "या उपनियम (2क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर को अंत: स्थापित किया जाएगा;

(घ) उपनियम (3) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम को अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"(3क) ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसका रजिस्ट्रीकरण उपनियम (2) या उपनियम (2क) के अधीन निलंबित कर दिया गया हो, उसके रजिस्ट्रीकरण के निलंबित रहने के अवधि के दौरान, धारा 54 के अधीन कोई भी प्रतिदाय नहीं किया जाएगा।";

(ङ) उपनियम (4) में, -

(i) "या उपनिमय (2)" शब्द, कोष्ठक और अंक के पश्चात "या उपनियम (2क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर को अंतः स्थापित किया जाएगा;

(ii) निम्नलिखित परंतुक को अतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"परंतु इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के निलंबन को समुचित अधिकारी प्रतिसंहरण कर सकता है, रद्दीकरण की प्रक्रिया के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय यदि वह उचित समझता है तो।".

6. उक्त नियम में, नियम 22 में,-

(क) उपनियम (3) में, "उपनिमय (1) के अधीन जारी किया गया कारण बताओ नोटिस" शब्द, कोष्ठक और अंक के पश्चात "या नियम 21क के उपनियम (2क) के अधीन" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर को अंतः स्थापित किया जाएगा;

(ख) उपनियम (4) में, "उपनिमय (2) के अधीन प्रस्तुत किया गया उत्तर" शब्द, कोष्ठक और अंक के पश्चात "या नियम 21क के उपनियम (2क) के अधीन जारी नोटिस के उत्तर में" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर को अंतः स्थापित किया जाएगा।

7. उक्त नियम में, नियम 36 में, उपनियम (4) में, 01 जनवरी, 2021 से प्रभावी, -

(क) दोनों जगह जहां-जहां भी "अपलोडेड" शब्द का उपयोग हुआ है वहां-वहां इसके स्थान पर "प्रस्तुत" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) दोनों ही जगहों पर जहां-जहां "धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन प्रदायकर्ताओं के द्वारा" शब्द कोष्ठक और अंक का उपयोग हुआ है वहां-वहां इनके पश्चात "**प्ररूप जीएसटीआर-1** में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा की उपयोग करते हुए" शब्द, अक्षर और अंक को अंतः स्थापित किया जाएगा;

(ग) "10 प्रतिशत" अंक और शब्द के स्थान पर "5 प्रतिशत" अंक और शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

8. उक्त नियम में, नियम 59 में, उपनियम (4) के पश्चात, निम्नलिखित उपनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात : -

"(5) इस नियम में किसी भी बात के होते हुए भी,-

(क) यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने पिछले दो महीने के लिए प्ररूप **जीएसटीआर- 3ख** में विवरणी प्रस्तुत नहीं करी है तो उसे धारा 37 के अधीन प्ररूप **जीएसटीआर-1** में अपने माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी।

(ख) ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसे धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन हर तिमाही का रिटर्न भरना जरूरी हो, धारा 37 के अंतर्गत प्ररूप **जीएसटीआर-1** में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करके अपने माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी, यदि उसने पिछली कर अवधि के लिए प्ररूप **जीएसटीआर- 3ख** में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है।

(ग) ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसपर नियम 86ख के अधीन यह प्रतिबंध हो कि 99% से अधिक देय कर का भुगतान करने के लिए वह अपने इलेक्ट्रॉनिक लेजर में उपलब्ध राशि का उपयोग नहीं कर सकता है, धारा 37 के अंतर्गत प्ररूप **जीएसटीआर-1** में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करके अपने माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी, यदि उसने पिछली कर अवधि के लिए प्ररूप **जीएसटीआर-3ख** में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है।

9. उक्त नियम में 86क के पश्चात 01 जनवरी, 2021 से निम्नलिखित नियम को अतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"**86ख. इलेक्ट्रॉनिक लेजर में उपलब्ध रकम के उपयोग पर प्रतिबंध.-** इन नियमों में किसी भी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उन मामलों में ऐसी कराधेयता के 99% से अधिक उत्पाद कर के लिए अपनी देयता के निष्पादन हेतु इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उपलब्ध राशि का इस्तेमाल नहीं करेगा जहां छूट आपूर्ति तथा शून्य दर वाली आपूर्ति से भिन्न कराधेय आपूर्ति का मूल्य एक माह में पचास लाख रुपये से अधिक है:

परंतु उक्त प्रतिबंध वहां नहीं लागू होगा जहां–

(क) यथास्थिति उक्त व्यक्ति अथवा स्वामी अथवा कर्ता अथवा प्रबंध निदेशक अथवा इसके दो साझीदारों में से कोई एक, पूर्णकालिक निदेशक, संघों की प्रबंध समिति के सदस्य अथवा बोर्ड न्यासी, ने विगत दो वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक में आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन आय के रूप में एक लाख रुपये से अधिक का भुगतान किया है जिसके लिए उक्त अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आयकर विवरणी दाखिल करने की समय सीमा समाप्त हो गयी है; अथवा

(ख) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने धारा 54 की उपधारा (3) के प्रथम परंतुक के खण्ड (i) के अधीन अप्रयुक्त इनपुट कर प्रत्यय के कारण पिछले वित्तीय वर्ष में प्रतिदाय रकम एक लाख रुपये से अधिक प्राप्त की है; अथवा

(ग) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने धारा 54 की उपधारा (3) के प्रथम परंतुक के खण्ड (ii) के अधीन अप्रयुक्त इनपुट कर प्रत्यय के कारण पिछले वित्तीय वर्ष में प्रतिदाय रकम एक लाख रुपये से अधिक प्राप्त की है; अथवा

(घ) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने उस रकम के लिए इलेक्ट्रॉनिक नकद लेजर के माध्यम से उत्पाद कर के प्रति अपनी देयता का निर्वहन किया है जो चालू वित्तीय वर्ष में उक्त माह तक संचयी रूप से प्रयुक्त कुल आउटपुट कर देयता के 1% से अधिक है; अथवा

(ङ) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति होता है–

(i) सरकारी विभाग; अथवा

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम; अथवा

(iii) स्थानीय प्राधिकरण; अथवा

(iv) सांविधिक निकाय:

परंतु यह भी कि आयुक्त अथवा उसकी ओर से प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसे सत्यापन तथा ऐसे रक्षोपायों जिसे वह उचित समझे, के उपरांत उक्त प्रतिबंध को हटा सकता है।"

10. उक्त नियम में, नियम 138 के, उपनियम (10) में, 01 जनवरी, 2021 से प्रभावी -

(क) तालिका के स्तंभ 2 में क्रम सं. 1 के सामने शब्द तथा अंक "100 किमी." के स्थान पर शब्द तथा अक्षर "200किमी." को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) तालिका के स्तंभ 2 में क्रम सं. 2 के सामने शब्द तथा अंक "100 किमी." के स्थान पर शब्द तथा अक्षर "200 किमी." को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

11. उक्त नियम में नियम 138ङ में,-

(क) खण्ड (ख) में, "दो माह" शब्द के स्थान पर, "दो कर अवधि" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) खण्ड (ग) के उपरांत निम्नलिखित खण्ड को अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"(घ) एक व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण नियम 21(क) के उपनियम (1) अथवा उपनियम (2) अथवा उपनियम (2क) के प्रावधानों के अधीन निलंबित कर दिया गया है।"

12. उक्त नियम में प्ररूप **जीएसटी आरईजी -30** के पश्चात, निम्नलिखित **प्ररूप** अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात -

प्ररूप जीएसटी आरईजी-31

[*नियम 21क देखें*]

संदर्भ सं. तारीख: <दिन><माह><वर्ष>

सेवा में,

जीएसटीआईएन:

नाम:

पता:

रजिस्ट्रीकरण को निलंबित करने के लिए सूचना और रद्दीकरण के लिए नोटिस

निम्नलिखित की तुलना में, यथा,

(i) अपने माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 39 के अंतर्गत भरे गए विवरणी;

(ii) अपने प्ररूप **जीएसटीआर -1** में भरे गए बाह्य आपूर्तियाँ का ब्यौरा;

(iii) अपने आवक आपूर्तियों का ऑटो जनरेटेड ब्यौरा,

_____ से _____तक की अवधि से संबंधित;

(iv) ..... (स्पष्ट करें)

और अन्य उपलब्ध जानकारी के मिलान में निम्नलिखित विसंगति/असंगति का पता चला है:

- टिप्पणी 1
- टिप्पणी 2
- टिप्पणी 3

(करदाता के सुसंगत मानदण्डों के आधार पर भरा जाने वाला ब्यौरा).

2. प्रथम दृष्टया विषंगतियों/अषंगतियों से यह प्रकट होता है कि इनसे केन्द्रीय माल एवं सेवाकर कर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों का उल्लंघन दर्शित करती है कि यदि इनका संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलता है तो आपके रजिस्ट्रीकृत को रद्दीकरण के लिये दायी होगा ।

3. इस बात पर विचार करते हुए कि उपर्युक्त विषगतियां/अषंगतियां इतनी गंभीर हैं और इनसे राजस्व संबंधी हित पर गंभीर खतरा पैदा हुआ है अतः क तात्कालिक उपाय के रूप में आपके रजिस्ट्रीकरण को नियम 21क के उपनियम (2क) के अनुसार इस सूचना की तारीख से रद्ध कर दिया जाता है।

4. आपसे अनुरोध है कि इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से सात कार्य दिवस के भीतर अधिकार क्षेत्र वाले कर अधिकारी के पास अपना उत्तर प्रस्तुत कर दें जिसमें उपर्युक्त विषंगति/अषंगति के बारे में अपना स्पष्टीकरण दे दें। यदि जीएसटी के सामान्य पोर्टल पर किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरीके से आपके दस्तावेजों का दुरूपयोग किये जाने की संभावना हो तो उसको भी विशेष रूप से अधिकार क्षेत्र वाले अधिकारी की जानकारी में लाया जाये।

5. आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये कागजातों के साथ-साथ आपके उत्तर से अधिकार क्षेत्र वाला अधिकारी यदि संतुष्ट होता है और अन्य किसी सत्यापन से जिसे उक्त अधिकार क्षेत्र वाला अधिकारी आवश्यक समझता है तो आपके रजिस्ट्रीकरण के आस्थगन को हटाया जा सकता हैं ।

6. आप कृपया यह नोट कर लें कि यदि आप विनिर्दिष्ट अवधि में अपना उत्तर नहीं देते हैं या कोई संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं तो आपके रजिस्ट्रीकरण को रद्ध किया जा सकता है।

नाम:

पदनाम:

नोट : यह एक सिस्टम जनरेटेड नोटिस है और इसके जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।".

[फा. सं. सीबीईसी-20/06/04/2020-जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3 उप-खण्ड (i) में अधिसूचना सं. 3/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा संख्या सा.का.नि. 610(अ) तारीख 19 जून, 2017 प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3 उप-खण्ड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं. 82/2020-केन्द्रीय कर, तारीख 10 नवम्बर, 2020 द्वारा संख्या सा.का.नि. 698(अ), तारीख 10 नवम्बर, 2020 द्वारा किये गए थे।